

मुख्य मंत्री  
विकास यात्रा

ज०शि०को०उद्योग (01) 04/08 वि०या०..... 2593  
बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

प्रेषक,

उप सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,  
मुख्य सचिव का जन शिकायत कोषांग,  
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 13.3.09

विषय:- मुख्य सचिव से प्राप्त मुख्य मंत्री विकास यात्रा के संदर्भ संख्या 1902930214 दिनांक 19.06.09 एवं 1802930057 दिनांक 26.06.09 के अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके पत्रांक 535 दिनांक 06.05.09 के साथ मुख्य मंत्री विकास यात्रा का संदर्भ संख्या 1902930214, पत्रांक 225 दिनांक 26.06.09, के साथ संदर्भ संख्या 1802930057 के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र (Action Taken Letter) तैयार कर प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध निदेशक, तकनीकी निदेशालय से किया गया था। निदेशक द्वारा प्राप्त उपरोक्त दो संदर्भ संख्या पर कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई पत्र पत्रांक 736 दिनांक 08.07.09 एवं 735 दिनांक 08.07.09 द्वारा उप सचिव, उद्योग विभाग को उपलब्ध कराया गया है। जिसे मूल रूप में पत्र के साथ संलग्न कर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है।

कृपया पावती स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथा उपरोक्त।

प्रभासी पदा  
13/07/09  
कमल कुमार  
13.07.09

श्री प्रभासी  
13/07/09

विश्वासभाजन

सरकार के उप सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

128 121

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक-डी0टी0डी/डी0-3/1/2009. 735 /पटना, दिनांक- 8/7/09  
प्रेषक,

अशोक कुमार,  
संयुक्त निदेशक(तक0)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,  
जन शिकायत कोषांग,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- *5/7/09* मुख्य सचिव के कार्यालय से प्राप्त पत्रांक-1560 वि0 या0  
दिनांक-09/06/2009 के साथ विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त  
संदर्भ सं0-1802930057 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2225 दिनांक-23/06/2009 के साथ

*20-7/3/09*  
*8/7/09* माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ  
संख्या-1802930057 जिसमें उल्लेखित है कि भीरखुर्द पंचायत के शिक्षित बेरोजगार  
युवक रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण बेरोजगार हैं तथा ये अपने पंचायत में कोई  
बड़ा उद्योग यथा रिलायंस इन्डस्ट्रीज, वेदान्त लि0, पेपसी, कोका कोला, थम्स-अप,  
चमड़ा उद्योग, सीमेन्ट उद्योग, मोटर साइकिल उद्योग, टाटा मोटर्स आदि टाइप का  
उद्योग लगवाना चाहते हैं।

विदित हो कि सरकार अपने स्तर से कोई उद्योग नहीं लगाती है, बल्कि  
सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के तहत उद्यमियों को उद्योग  
लगाने हेतु प्रोत्साहन देती है। इसी क्रम में मे0 साहु एग्रो प्रोडक्ट्स, नवगछिया, मे0  
सुकजीत स्टार्च एण्ड केमिकल्स प्रा0 लि0, नवगछिया, मे0 सीमेन्ट मैन्युफैक्चरिंग लि0,  
कहलगाँव के द्वारा थर्मल पावर प्लान्ट, सेन्चुरी फ्लाई वूड लि0, कोलकाता द्वारा  
कहलगाँव में 10 लाख टन क्षमता वाली सीमेन्ट उद्योग एवं मे0 आधुनिक पावर एण्ड  
नेचुरल रिसोर्सज कोलकाता द्वारा 1000 मेगावाट कोयला आधारित थर्मल पावर प्लान्ट,



पीरपैती, कहलगाँव भागलपुर में लागाने हेतु प्रस्ताव पर राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गई है। इन इकाईयों के उत्पादन रत होने पर भागलपुर जिले के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा जिससे उनकी बेरोजगारी दूर होगी।

कृपया मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अनुमोदन Action Taken Letter पर प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

*Handwritten signature*  
08.02.09

संयुक्त निदेशक(तक0)

—सह—

लोक सूचना पदा0,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।



125

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक-डी०टी०डी/डी०-३/१/२००९ 736 /पटना, दिनांक- 8/7/09  
प्रेषक,

अशोक कुमार,  
संयुक्त निदेशक(तक०)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सरकार के अवर सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- विकास यात्रा 09 के दौरान श्री विशुन देव वर्मा का पेपर मिल संबंधी  
प्राप्त आवेदन का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य सचिव जन शिकायत कोषाग का पत्रांक-534 वि० या०  
दिनांक-06/05/09 एवं मुख्यमंत्री राबिवालय का संदर्भ संख्या-  
1902930214.

40410  
महाशय,

1607/1410  
9/7/09

श्रीरामजी

कोषाग  
9.7.09

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-2195 दिनांक-19/06/2009 के साथ  
माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के विकास यात्रा 2009 के दौरान प्राप्त संदर्भ  
संख्या-1902930214 जिसमें उल्लेखित है कि श्री विशुन देव वर्मा पिता- स्व० केशो  
साव, ग्राम- बेला, पो०- मतासी, जिला- लखीसराय द्वारा जीवन यापन के लिए एक  
पेपर मिल कोरासी में बैठाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी समस्या धन की है।

प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापना हेतु जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय हैं जहाँ  
उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु सभी प्रकार की सहायता मुहैया की जाती है।  
आवेदक को सर्वप्रथम उद्योग लगाने हेतु प्रस्तावित निबंधन कराना होता है। तत्पश्चात्  
उद्यमी के प्रस्ताव को वित्तीय सहायता हेतु बैंकों को आवेदन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ  
अनुसंशित कर भेजा जाता है। वित्तीय संस्थान द्वारा अनुसंशित आवेदन पर कारवाई की  
जाती है। जहाँ से टर्म लोन एवं कार्यशील पूँजी प्राप्त कर उद्योग की स्थापना कर  
अपना भरण-पोषण कर सकते हैं।

165

कृपया मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय  
विभाग का अनुमोदन Action Taken Letter पर प्राप्त किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

*08.07.09*

संयुक्त निदेशक(तक0)

—सह—

लोक सूचना पदा0,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।